

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय: राज्य योजना अन्तर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लीनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर मदर टेरेसा एडवान्स हेल्थ क्लीनिक करने की स्वीकृति के संबंध में।

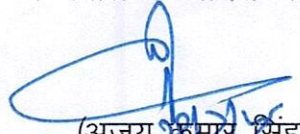
विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-98(6)ब दिनांक-25.09.2019 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत अटल मोहल्ला क्लीनिक की योजना की दी गई स्वीकृति के कंडिका संख्या-2 में अंकित है कि, "2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में शहरी स्लम क्षेत्रों की जनसंख्या करीब 3,73,000 है। इन शहरी स्लम क्षेत्रों के आवासित लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अटल मुहल्ला क्लीनिक संचालित करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25 मुहल्ला क्लीनिक खोलने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-70(6) ब दिनांक-02.08.2019 द्वारा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक-16.08.2019 को राज्य में मुहल्ला क्लीनिक का शुभारंभ "अटल मुहल्ला क्लीनिक" के नाम से की गई है।"

2. राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित अटल मुहल्ला क्लीनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर "मदर टेरेसा एडवान्स हेल्थ क्लीनिक" रखा जाता है।

3. विभागीय संलेख ज्ञापांक-208(5) दिनांक-19.06.2025 में निहित उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक-24.07.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

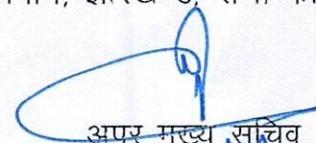
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-5/पी०-65/2021...265(5)

राँची, दिनांक: 29.07.2025

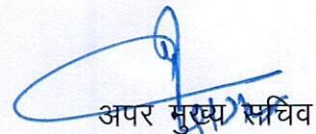
प्रतिलिपि: विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 5 / पी०-65 / 2021.265(5).....

राँची, दिनांक:- 29.07.2025

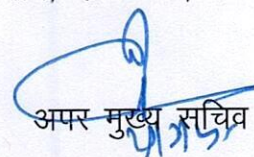
प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित अंक की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 5 / पी०-65 / 2021.265(5).....

राँची, दिनांक:- 29.07.2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेख एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव